

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) पाठ्यक्रम के सत्र 2026–2028 में नामांकन हेतु डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 के लिए ऑनलाईन भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु द्वितीय डमी प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या— पी०आर० 323 / 2025, पी०आर० 331 / 2025 एवं पी०आर० 11 / 2026 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) पाठ्यक्रम के सत्र 2026–28 में नामांकन हेतु डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 हेतु आवेदन व परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका द्वितीय डमी प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल <https://www.bsebdeled.com> पर दिनांक 05.02.2026 से 10.02.2026 तक अपलोड रहेगा। अभ्यर्थी अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग कर अपना द्वितीय डमी प्रवेश पत्र अवलोकित एवं डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित एक-एक विवरण की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो वे उक्त अवधि में पोर्टल पर ही त्रुटि सुधार अवश्य कर लें।

2. इस क्रम में निम्नांकित विवरणों— डोमिसाईल/आरक्षण कोटि/लिंग/दिव्यांगता स्थिति/आश्रित (Dependent) स्थिति/संकाय/10+2 स्तर में उर्द्द माध्यम की स्थिति, जिसका उपयोग परीक्षाफल एवं संस्थान आवंटन हेतु होता है, की जाँच एवं यदि कोई त्रुटि हो तो उसका सुधार अवश्य कर लें। यदि उक्त विवरणों में त्रुटि रह जाने के कारण किसी अभ्यर्थी का परीक्षाफल अथवा नामांकन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

3. द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरण में सुधार के क्रम में जिन अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटि में परिवर्तन होता है, उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की शेष राशि का भुगतान करना होगा, अर्थात् अनु० जाति/अनु० जन जाति/दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी कोटि सुधारोपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की अन्तर राशि रु० 200/- ऑनलाईन विधि से दिनांक 10.02.2026 तक जमा करना होगा, अन्यथा उनका मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा।

4. दिनांक 10.02.2026 के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

5. समिति की विज्ञप्ति संख्या— पी०आर० 323 / 2025 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगे।